न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/492

स्व0 घांसी लाल आत्मज श्री कल्याण जी जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. अणदी लाल आत्मज स्व0 घांसी लाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी
2. गोपाल आत्मज स्व0 घांसी लाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. नन्द कुमार जोशी आत्मज श्री हरिशंकर जोशी जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीपुरा हाल निवासी मकान नम्बर 185 वार्ड संख्या 5 आदर्श विद्या मंदिर के पास गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री वी0 पी0 दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 17.04.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 नन्द कुमार जोशी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 503/331 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 506/336, 342 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 507/331 एवं खसरा नम्बर 342 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 528/288 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा 57 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता श्री हरिशंकर जी पुत्र श्री उदय लाल जाति ब्राह्मण के खातेदारी की भूमि है । दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही में उक्त भूमि 57 बीघा 11 बिस्वा के बजाय 43 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी । इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग ने वादी की उक्त भूमि 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि कर दर्ज की जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था । वादी की कम की गई भूमि आराजी खसरा नम्बर 427/665 रकबा 10 बीघा में मिला दी ।

3. अतः वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 427/665 रकबा 10 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे और यह भूमि प्रतिवादीगण के खाते से विलोपित की जाकर वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे ।

स्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.2009 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार करते वादी रेस्पोडेन्ट को आराजी खसरा नम्बर 427/665 रकबा 10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते से विलोपित करते हुए उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.06.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.07.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं। अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से व्यथित है । अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से स्वयं को व्यथित होना बताया है । हम न्यायहित में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 427/665 की भूमि रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा का अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्त है इसके बावजूद भी अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जीवित होने व वर्तमान में भी मौजूद होने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट के जीते जी उसे मृत होना माकर अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि का फौती नामान्तरकरण दस्दीक कर दिया जो कि अपीलान्ट के हितों के विपरीत होने से अवैध एंव शून्य प्रभावी है । अपीलान्ट वर्तमान में भी मौजूद है । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य जाहिर होने कि अपीलान्ट जीवित है के बावजूद भी वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 निरस्त फरमाई जावे तथा अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर समुचित सुनवाई एवं जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर सुनवाई करने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 427/665 की भूमि रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा का अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2009 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट (उभय पक्ष) को सुनवाई, जवाबदेही एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

.....